

अंशदायी पेंशन

विषय सूची

क्र०सं०	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिन्हें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित "लाभ पेंशन योजना के स्थान पर नवपरिभाषित "अंशदायी पेंशन योजना" लागू करने के संबंध में	सं० 21 / xxvii(7)अ०पे०यो० / 2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005	367-386
2.	दिनांक 01.10.2005 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 21 / xxvii(7)अ०पे०यो० / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 का स्पष्टीकरण	सं० 346 / xxvii(7) / 2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007	387-390
3.	अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में पूर्व में जारी शासनादेशों में संशोधन संबंधी	सं० 643 / xxvii(7) / (अ०पे०यो०) / 2010 / दिनांक 11 अगस्त, 2010	391-396
4.	अधिसूचना सं० 21 / xxvii(7) / अ०पे०यो० / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अनुसार चिकित्सा, शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कृषि विभाग के शिक्षण संस्थाओं में लागू करने के विषय में व्यवस्था	सं० 832 / xxvii(7) / 2011 दिनांक 04 मार्च, 2011	397-398

उत्तरांचल शासन

वित्त (सामान्य नियम-वेतन आयोग) अनुभाग-7

संख्या- 21 / XXVII(7)अं0पे0यो0 / 2005

देहरादून : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्य सरकार ने, अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित "लाभ पेंशन योजना" के स्थान पर नवपरिभाषित "अंशदान पेंशन योजना" लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है :-

(i) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवायें 01 अक्टूबर, 2005 को 10 वर्ष से कम की हो, भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं/निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हो जायें। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा, जो पेंशन टियर-1 खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों, जो वर्तमान अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, उन्हें पूर्व से परिभाषित पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के उपबन्धों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

(iii) चूँकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे, अतः वे पेंशन टियर-1 खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक टियर-2 खाता भी रख सकते हैं, परन्तु सेवायोजक टियर-2 खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। टियर-2 खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो पेंशन टियर-1 खाते के लिए है। तथापि, कर्मचारी अपने

“टियर-2” खाते के धन के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-1 को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत का निवेश करें जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर-1 को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

(v) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विगत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे, जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सके।

2- उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल-1961 एवं उत्तर प्रदेश भविष्य निधि नियमावली-1985 के सुसंगत प्राविधान इस क्रम में संशोधित किये गये हैं।

3- दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद नव-नियुक्त/भर्ती होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रपत्र-1 (संलग्न) पर वांछित विवरण, सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रपत्र-2 (संलग्न) पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त विवरण सम्बन्धित कोषागार एवं निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड (डालनवाला), देहरादून को भेजा जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल द्वारा प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 के आधार पर कम्प्यूटर पर आधारित एक “डाटा बेस” तैयार किया जायेगा, जिसे भारत सरकार में केन्द्रीय अभिलेखपाल/Central Record Keeping Agency (CRA) एवं पेंशन निधि प्रबन्धक को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

4- कोषागार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंशदायी पेंशन हेतु विवरण, प्रपत्र-3 (संलग्न) पर सूचना तैयार कर वेतन देयक (bill) के साथ संलग्न करके प्रेषित किया जायेगा जिसे प्रतिमाह की 05 तारीख तक कोषागार द्वारा इसी प्रपत्र पर आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्षवार संकलित सूचित निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को उपलब्ध कराया जायेगा। जब तक कि भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए पेंशन निधि

प्रबन्धक की नियुक्ति न कर दी जाय, इस प्रकार के लेखों का रखरखाव उक्त निदेशालय द्वारा किया जायेगा। पेंशन निधि प्रबन्धक द्वारा कार्य संचालन के पूर्व इस प्रकार की निधि पर सामान्य भविष्य निधि पर अनुमन्य ब्याज दर अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

5- जब तक अलग से मानक मद निर्धारित नहीं किया जाता, अंशदायी पेंशन योजना के अधीन नियोक्ता के अंशदान की धनराशि को 01-वेतन मद से ही भुगतान किया जायेगा, जो वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता की धनराशि के योग के 10 प्रतिशत के बराबर होगी। एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के इनपुट-1 में अन्य वेतन शीर्षक के अधीन "एकीकृत पेंशन हेतु वेतन" के अन्तर्गत भुगतान पुस्तांकित किया जायेगा।

6- पेंशन निधि में नियोक्ता के अंश तथा अधिकारी/कर्मचारी के वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते की धनराशि के योग के 10 प्रतिशत अंश की सकल धनराशि कोषागार द्वारा मुख्य लेखा शीर्षक 8011-बीमा तथा पेंशन निधि के लघुशीर्षक 106-अन्य बीमा तथा पेंशन निधि के उपशीर्षक 05-पेंशन निधि में अंशदान तथा पुनर्विनियोग की इकाई/मानक मद 33-पेंशन में जमा किया जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, उक्त जमा धनराशि के आहरण वितरण हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे और भारत सरकार द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धक नियुक्त किये जाने के बाद, उनके द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन धनराशि पेंशन निधि प्रबन्धक को भेजा जायेगा। निदेशक द्वारा पेंशन निधि से सम्बन्धी वांछित सूचना/विवरण पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA), केन्द्रीय अभिलेखपाल (CRA), राज्य सरकार तथा अन्य सुसंगत स्तरों को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- नवीन पेंशन योजना के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक : 01 अक्टूबर, 2005 होगी।

संलग्नक:- निर्धारित प्रपत्र(3)

इन्दु कुमार पान्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या- 21(1)/XXVII(7)अं0पे0यो0/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3- महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
- 4- रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
- 5- स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।

- 6- सचिव, विधानसभा उत्तरांचल।
- 7- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
- 8- उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- समस्त कोषांगार अधिकारी, उत्तरांचल।
- 10- निदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
- 11- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 12- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)

अपर सचिव, वित्त।

प्रपत्र-1

(विवरण सरकारी सेवक द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में भरा जाय)

- 1- सरकारी सेवक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :-.....
- 2- पिता/पति/पत्नी का नाम :-
- 3- स्थाई पता :-
- 4- पत्र-व्यवहार का पता :-
- 5- पदनाम :-.....
- 6- विभाग/संगठन का नाम :-.....
- 7- वेतनमान :-.....
- 8- जन्मतिथि :-.....
- 9- सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :-.....
- 10- मूल वेतन :-.....
- 11- पेंशन लेखे में संग्रहीत धनराशि हेतु नामांकन :-

क्रम सं०	नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	आयु	कितने प्रतिशत अंश	सरकारी सेवक से सम्बन्ध

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर.....

प्रपत्र-2

(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कोषागार तथा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को भेजा जाने वाला विवरण)

कार्यालयाध्यक्ष का नाम.....

डी०डी०ओ० कोड नं०

कार्यालय का पूरा पता.....

क्र० सं०	सरकारी सेवक का नाम	पद नाम	मूल वेतन	जन्म तिथि	सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	नामांकन विवरण				रेशन खाता संख्या
						नामित व्यक्ति	आयु	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	प्रतिशत अंश	

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी

के (मुहर सहित) हस्ताक्षर.....

(इस प्रपत्र के साथ, सभी सरकारी सेवकों द्वारा प्रथम बार भरा गया प्रपत्र-1 की एक-एक छायाप्रति भी संलग्न की जाय)।

प्रपत्र-3

(कोषागार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंशदायी पेंशन हेतु वेतन देयक के साथ लगने वाला संलग्नक तथा प्रतिमाह निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को विलम्बतम् 05 तारीख तक भेजा जाने वाला विवरण)

आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम.....

डी०डी०ओ० कोड नं०

कोषागार का नाम

माह..... वर्ष

क्रम सं०	सरकारी सेवक का नाम	पदनाम	मूल वेतन (रूपये)	महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते का योग (रू०)	कर्मचारी का अंश (रूपये)	सरकार का अंश (रू)	टीयर-1 पेंशन फण्ड का योग (रू०)	टीयर-2 भविष्य निधि में अंश(रू०)	अभ्युक्ति

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी/कोषागार अधिकारी के (मुहर सहित) हस्ताक्षर.....

FORM- 1

(Details to be furnished by the Government servant)

1. Name of the Govt. servant :
(in Block letters)
2. Name of Father/Husband/Wife :
3. Permanent address :
4. Postal address :
5. Designation :
6. Name of Ministry/Dept./Organisation :
7. Scale of Pay :
8. Date of Birth :
9. Date of Joining Govt. service :
10. Basic Pay :
11. Nominee for accumulations under the Pension Account :-

Sl. No.	Name of nominee (s)	Age	Percentage of Share payable	Relationship with the Govt. servant

Signature of Government servant.....

DDO

(शासनादेश सं०-२१/XXVII(७)अ०प०य०/२००५, दिनांक २५ अक्टूबर, २००५ का संलग्नक)

FORM-2

(Format in which information is required to be sent by
DDO to Director, Accounts & Entitlement)

Name of DDO & Code No. :

Name of Office & Address :

Sl. No	Name of the Govt. servant	Designation	Basic Pay	Date of Birth	Date of joining service	Details of nominee(s) for the accumulations under Pension Account				Pension A/c No.
						Name of nominee(s)	Age	Relationship with Government servant	% age of share	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Name of DDO:
Office seal

FORM-3

(Details of Pension contributions of each subscriber for salary bill and to be sent to Director, A. & E. Uttaranchal latest by 5th day of every month by D.D.O./concerned Treasury Officer)

Designation of D.D.O.
D.D.O. Code No.
Name of Treasury
Month of Contribution.....Year

Sl. No.	Name of Govt. servant	Designation	Basic Pay (Rs.)	Total of D.P. and D.A.(Rs)	Employee's contribution (Rs)	Govt. contribution (Rs)	Total of Teer-1 Pension Fund (Rs)	Teer-2 contribution for GPF (Rs)	Remarks

Signature & Seal of
DDO/Head of Office/Treasury

Government of Uttarakhand
Finance (General Rules – Pay Commission) Section- 7
No : 21 /XXVII(7)C.P.S/2005
Dated : Dehradun, October 25, 2005

Notification

The State Government, in consideration of its long-term fiscal interest and following broadly the pattern adopted by the Central Government, has approved the following proposal of introducing a new “**defined contribution pension system**” in place of the existing “**defined benefit pension scheme**”, for new entrants to the service of the State Government and all state-controlled autonomous institutions and State-aided private educational institutions where the existing pension scheme is patterned on the scheme for Government employees and is funded by the consolidated fund of the State Government :-

- (i) From 1st of October, 2005, the new defined contribution pension system would mandatorily apply to all new recruits to the service of the State Government and of all State-controlled autonomous/State aided private educational institutions referred to above. However, employees covered by the existing pension scheme whose service would be of less than ten years on 1st October, 2005 may also voluntarily opt for the new pension system in place of the existing pension scheme.
- (ii) Under the new defined contribution pension system, the employee would make a monthly contribution equal to 10 percent of the salary, dearness pay and dearness allowance. A matching employer's contribution would be made by the State Government or by the concerned autonomous institution/private educational institution. However, the State Government would provide grant to the concerned autonomous institution/private educational institution for making employer's contribution until the institution is in a position to make the contribution itself. The contribution and investment returns would be deposited in an account to be known as pension **tier I account**. No withdrawal would be allowed from this account during the service period. The existing provisions of defined benefit pension and GPF would not be available to the new recruits covered by the new defined contribution pension system.
- (iii) Since new recruits would not be able to subscribe to GPF, they may also have a voluntary tier-II account, in addition to the pension tier-I account. However, employer would make no contribution to tier-II account. The assets in tier-II account would be invested and

managed through exactly the same procedure as for pension tier-I account. However, the employee would be free to withdraw part or all of the "Tier- 2" of his money anytime.

- (iv) Employee can normally exit tier-I of the pension system at the time of retirement. At exit the employee would be mandatorily required to invest 40 percent of pension wealth to purchase an annuity from a recognized insurance company so as to provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents and his spouse at the time of retirement. The remaining pension wealth would, however, be received by the employee as a lump sum which he would be free to utilise in any manner. In case of employee exiting the pension tier-I before retirement, the mandatory annuitisation would be 80 percent of the pension wealth.
- (v) There would be several pension fund managers who would offer mainly three categories of investment options. The pension fund managers and the record-keeper would jointly give out easily understood information about past performance so that the employee is able to make informed choices of the investment options.

2- Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules – 1961 & Uttar Pradesh General Provident Fund Rules- 1985 have been amended as per aforesaid provisions.

3- An employee recruited/appointed on or after 1st October- 2005, will fill up the Form -1 (Annexure) in Hindi & English and submit to Head of Office/Drawing and Disbursing Officer (D.D.O). Inturn Head of Office/DDO will send the information of the such employees in Form-2(Annexure) to the concerned treasury and Director, Accounts & Entitlement (A&E). Director, A&E will prepare a data base based on Form- 1 and Form- 2 and submit the details to Central Record Keeping Agency (CRA) and Pension Fund Managers appointed by Govt. of India.

4- The Treasury/DDO will annex the details of pension contribution with pay bill on Form- 3 (Annexure) and latest by 5th day of each month, the Treasury will send the DDO wise/Head of the Office wise information on Form – 3 to Director, A&E. Till the Govt. of India appoints Pension Fund Managers, the maintainance will be done by the Directorate, until the accounts are taken over by Pension Fund Managers, the balances of the Fund will earn interest on the same rate as applicable on General Provident Fund and will be paid by the State Government.

- 5- The employer's contribution in contributory pension scheme will be charged against object of expenditure 01- Pay, till separate object of expenditure is notified. The employer's 10% contribution will include the Basic Pay+Dearness Pay+ Dearness Allowance. The amount of contribution will be booked under object 01- Pay in Input – 1 of the Integrated Pay and Account System as "Pay for Integrated Pension".
- 6- 10% Pension contribution of the employer's and employees towards Pension Fund will be accounted under head **8011 – Insurances & Pension Funds, 106 – Other Insurance & Pension Funds 05- Contributions to Pension Fund and unit of appropriation will be 33-Pension** by the concerned treasury. Director, A&E shall be the competent authority for the drawing and disbursing of the deposited amounts in the fund. After the appointment of Pension Fund Manager by the Govt. of India, the Director, A&E will remit the pension fund to the Fund Manager in accordance with established rules and procedures and will furnish the required information/details to Pension Fund Regulation and Development Authority (P.F.R.D.A), Central Record Keeping Agency (C.R.A.), State Government and other concerned.
- 7- The New Pension Scheme will come into force from 1st October, 2005.

Annexure : Prescribed form 1 to 3

Indu Kumar Pande
Principal Secretary

No- 21 (1)/XXVII(7)C.P.S/2005 dated above.

Copy: For information and necessary action to following:-

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries, Uttaranchal Govt.
- 2- All Head of Departments/Head of the Offices, Uttaranchal.
- 3- Accountant General, Uttaranchal, Dehradun.
- 4- Registrar General, Hon'able High Court of Uttaranchal, Nainital.
- 5- Resident Commissnor, Uttaranchal, New Delhi.
- 6- Secretary, Vidhansabha, Uttaranchal.
- 7- Secretary, To Governor Uttaranchal.
- 8- All Sections, Uttaranchal Secretariat, Dehradun..
- 9- All Treasuary Officers, Uttaranchal.
- 10- Director, Administrative Training Institute, Nainital.
- 11- Deputy Director, Government Press, Roorkee for publication in State Gazette.
- 12- Senior Technical Director, N.I.C Uttaranchal Unit, Dehradun.

By Order,

(T.N.Singh)

Additional Secretary

प्रपत्र-1

(विवरण सरकारी सेवक द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में भरा जाय)

- 1- सरकारी सेवक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :-.....
- 2- पिता/पति/पत्नी का नाम :-
- 3- स्थाई पता :-
- 4- पत्र-व्यवहार का पता :-
- 5- पदनाम :-.....
- 6- विभाग/संगठन का नाम :-.....
- 7- वेतनमान :-.....
- 8- जन्मतिथि :-.....
- 9- सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :-.....
- 10- मूल वेतन :-.....
- 11- पेंशन लेखे में संग्रहीत धनराशि हेतु नामांकन :-.....

क्रम सं०	नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	आयु	कितने प्रतिशत अंश	सरकारी सेवक से सम्बन्ध

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर.....

प्रपत्र-2

(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कौषागार तथा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को भेजा जाने वाला विवरण)

कार्यालयाध्यक्ष का नाम.....

डी०डी०ओ० कोड नं०

कार्यालय का पूरा पता.....

क्र० सं०	सरकारी सेवक का नाम	पद नाम	मूल वेतन	जन्म तिथि	सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	नामांकन विवरण				पेशान खाता संख्या
						नामित ब्यक्ति	आयु	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	प्रतिशत अंश	

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी

के (मुहर सहित) हस्ताक्षर.....

(इस प्रपत्र के साथ, सभी सरकारी सेवकों द्वारा प्रथम बार भरा गया प्रपत्र-1 की एक-एक छायाप्रति भी संलग्न की जाय)।

प्रपत्र-3

(कोषागार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंशदायी पेंशन हेतु वेतन देयक के साथ लगने वाला संलग्नक तथा प्रतिमाह निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को विलम्बतम् 05 तारीख तक भेजा जाने वाला विवरण)

आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम.....

डी०डी०ओ० कोड नं०

कोषागार का नाम

माह..... वर्ष

क्रम सं०	सरकारी सेवक का नाम	पदनाम	मूल वेतन (रूपये)	महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते का योग (रु०)	कर्मचारी का अंश (रूपये)	सरकार का अंश (रु०)	टीयर-1 पेंशन फण्ड का योग (रु०)	टीयर-2 भविष्य निधि में अंश(रु०)	अभ्युक्ति

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी/कोषागार अधिकारी के (मुहर सहित) हस्ताक्षर.....

FORM- 1

(Details to be furnished by the Government servant)

1. Name of the Govt. servant :
(in Block letters)
2. Name of Father/Husband/Wife :
3. Permanent address :
4. Postal address :
5. Designation :
6. Name of Ministry/Dept./Organisation :
7. Scale of Pay :
8. Date of Birth :
9. Date of Joining Govt. service :
10. Basic Pay :
11. Nominee for accumulations under the Pension Account :-

Sl. No.	Name of nominee (s)	Age	Percentage of Share payable	Relationship with the Govt. servant

Signature of Government servant.....

DDO

FORM-2

(Format in which information is required to be sent by
DDO to Director, Accounts & Entitlement)

Name of DDO & Code No. :

Name of Office & Address :

Sl. No	Name of the Govt. servant	Designation	Basic Pay	Date of Birth	Date of joining service	Details of nominee(s) for the accumulations under Pension Account				Pension A/c No.
						Name of nominee(s)	Age	Relationship with Government servant	% age of share	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Name of DDO:
Office seal

FORM-3

(Details of Pension contributions of each subscriber for salary bill and to be sent to Director, A. & E. Uttaranchal latest by 5th day of every month by D.D.O./concerned Treasury Officer)

Designation of D.D.O.

D.D.O. Code No.

Name of Treasury

Month of Contribution.....Year

Sl. No.	Name of Govt. servant	Designation	Basic Pay (Rs.)	Total of D.P. and D.A.(Rs)	Employee's contribution (Rs)	Govt. contribution (Rs)	Total of Teer-1 Pension Fund (Rs)	Teer-2 contribution for GPF (Rs)	Remarks

Signature & Seal of
DDO/Head of Office/Treasury

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7
संख्या: 346/xxvii(7)/2007
देहरादून, दिनांक: 21 नवम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- दिनांक 01-10-2005 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या: 21/xxvii(7)अं0पें0यो0/2005, दिनांक: 25 अक्टूबर, 2005 का स्पष्टीकरण ।

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ कि शासनादेश संख्या:21/xxvii(7)/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा प्रदेश में दिनांक 01-10-2005 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में विभिन्न विभागों, संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध में बिन्दुवार निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जिज्ञासा

स्पष्टीकरण

1. पेंशन टियर-1 से संबंधित प्रपत्रों का रख-रखाव व प्रेषण किस प्रकार किया जाएगा?

पेंशन टियर-1 के प्रपत्र-1, को प्रथम नियुक्ति आदेश के साथ आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम एवं कोड अंकित करके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर संबंधित कोषागार को भेजा जाय, ताकि आहरण वितरण अधिकारी वार डाटा बेस तैयार किया जा सके एवं नियमानुसार इसकी एक प्रति निदेशक, लेखा एवं हकदारी को कोषागार द्वारा उपलब्ध करायी जाय।

2. यदि किसी कार्मिक की, जो अंशदायी पेंशन योजना का सदस्य नहीं है, त्रुटिवश किसी माह उसके वेतन से अंशदान की कटौती पेंशन टियर-1 में हो जाती है तो उसकी वापसी की प्रक्रिया क्या होगी?

यदि किसी कार्मिक की त्रुटिवश अंशदान पेंशन की कटौती हो गयी हो तब संबंधित कोषागार द्वारा अभिलेखों की पुष्टि के बाद सुसंगत लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की गयी हो, से घटाइये वापसियों की प्रक्रिया के अधीन कर्मचारी का अंश रिफण्ड किया जाएगा तथा नियोक्ता का अंश जिस लेखा शीर्षक से वेतन आहरित किया गया हो उसके समरूप राजस्व प्राप्ति के लेखाशीर्षक में धनराशि राजकोष में पूर्ण स्थानान्तरण (Whole Transfer) प्रक्रिया के अधीन जमा की जाय।

3. वैच्छिक टियर-2 लेखे का रखरखाव किस रूप में होगा?

अंशदान पेंशन योजना में टियर-2 का रख-रखाव अनिवार्य की बजाय विकल्प पर आधारित सामान्य भविष्य निधि खातों के रूप में होगा तथा इस खाते के खोलने एवं रख-रखाव की व्यवस्था एवं प्रक्रिया वही होगी जो दिनांक 1-10-2005 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों पर सामान्य भविष्य निधि के विषय में लागू है। टियर-2 हेतु महालेखाकार सामान्य भविष्य निधि खातों की भौति वर्ग

"ग" एवं उससे उच्च स्तर के सरकारी कर्मचारियों के खाते खोल कर इनका रख-रखाव करेंगे तथा वर्ग "घ" हेतु पूर्व की भांति आहरण वितरण अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इसे किया जायेगा।

4. अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा अवधि में अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान जमा करने की प्रक्रिया एवं व्यवस्था क्या होगी?

यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा पर रहने के कारण कोषागार से एकीकृत भुगतान प्रणाली से वेतन प्राप्त नहीं कर रहा हो तथा उसकी भर्ती दिनांक 1-10-2005 से पूर्व की हो, तो वह स्थापित प्रक्रिया के अधीन चालान द्वारा अवकाश वेतन अंशदान तथा पेंशनरी अंशदान जमा करेगा। दिनांक 1-10-2005 या उसके बाद नई भर्ती के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा पर रहने की अवधि में अवकाश वेतन अंशदान पूर्ववत् जमा करेंगे परन्तु पेंशन अंशदान हेतु कर्मचारी एवं नियोक्ता का अंशदान नयी पेंशन योजना के आधार पर चालान द्वारा राजकोष में जमा किया जाय अर्थात् वेतन, मंहगाई वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत कर्मचारी के वेतन से तथा इतनी ही धनराशि जहां पर कार्मिक प्रति नियुक्ति/वाह्य सेवा पर कार्यरत है उस सदस्य/संगठन द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह सुसंगत लेखाधीन के अधीन जमा की जाएगी।

5. जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/स्थानीय निकायों में अंशदान पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता वहाँ कटौती की गयी अंशदान की धनराशि का निवेश किस प्रकार किया जाय?

जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में अंशदान पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पेंशन फण्ड के विषय में पेंशन फण्ड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहाँ न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फण्ड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित फण्ड मैनेजर को हस्तान्तरित कर दी जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि, प्रत्येक विवरण कम्प्यूटर पर आधारित हो तथा उसका निरन्तर बैंक अप रखा जाय। सामान्य भविष्य निधि पर अनुमन्य ब्याज के आधार पर वित्तीय वर्षवार अंशदायी पेंशन की कर्मचारीवार अवशेष, वर्षान्त में 15 मई तक आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषागार के माध्यम से लेखा पर्ची कार्मिक को उपलब्ध करा दी जाय। ऐसे लेखों का 100 प्रतिशत मिलान कोषागार द्वारा किया जाय ताकि वेतन से अंशदान की पेंशन कटौती एवं प्रारम्भिक अवशेष आहरण वितरण अधिकारी, कोषागार एवं निदेशक लेखा एवं हकदारी में समान पुस्तांकित हो।

346

संख्या: (1)/xxvii(7)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
5. स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6. सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की की 1000 प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या 643 /XXVII (7) (अं0पे0यो0)/ 2010
देहरादून :: दिनांक 11 अगस्त, 2010

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार की सरकारी सेवा में दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके बाद आने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या 20/XXVII (7)/ 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा नई अंशदान पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में अब तक समय-समय पर अधिसूचना सं0 21/XXVII (7)अं0पे0यो0/2005, दि0 25 अक्टूबर, 2005, का0ज्ञा0 सं0 132/XXVII (7)/2006, दि0 24 जुलाई, 2006, सं 346/XXVII(7)/2007, दि0 21 नवम्बर, 2007 तथा, सं0 210/XXVII (7)/2008, दि0 3 जुलाई, 2008 जारी किए जा चुके हैं।

2- इस योजना की प्रगति समीक्षा करने पर पाया गया है कि उक्त शासनादेशों द्वारा दिए गए निर्देशों का ठीक प्रकार से अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण तथा परिवर्तन की आवश्यकता है। अतः इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण निर्गत किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1)- पूर्व व्यवस्था में परिवर्तन :- उपरिलिखित अधिसूचना/कार्यालय ज्ञापों द्वारा निर्गत व्यवस्थाओं में निम्नलिखित परिवर्तन किये जा रहे हैं :-

- (i)- पत्र संख्या 356 /Dir A & E/ एन0पी0एस0/ 2009, दिनांक 15 जुलाई, 2009 से राज्य हेतु उक्त योजना के लिए एक फण्ड मैनेजर (एस0बी0आई0) नियुक्त किया गया था, परन्तु अब उक्त एक के स्थान पर 3 फण्ड मैनेजर यथा एस0बी0आई0, एल0आई0सी0 एवं यू0टी0आई0 नियुक्त किये जाते हैं।
- (ii)-पूर्व में सभी कोषागारों के माध्यम से विकेन्द्रीयकृत मोड में डाटा ट्रांसफर की व्यवस्था की गयी थी जिसे अब केन्द्रीयकृत मोड में किया जायेगा।
- (iii)-एक बार टियर-1 का खाता खोले जाने के बाद कोई कर्मचारी एन0एस0डी0एल0 (नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड), जिसको सरकार द्वारा सी0आर0ए0 (सेंट्रल रिकार्डकीपिंग एजेन्सी) नियुक्त किया है, द्वारा निर्धारित फैसेलिटेशन सेंटर (पी0 ओ0 पी0 - पॉइंट आफ प्रेजेन्स), जिसके पते संलग्न प्रपत्र "क" में दिये गये हैं, में टियर-2 का खाता खोल सकता है। उक्तवत् खाता खोलने पर कर्मचारी एवं एन0 एस0 डी0 एल0 के मध्य करार होगा एवं नियोक्ता का इस सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं होगा।
- (iv)-पूर्व व्यवस्थानुसार टियर-2 खाता महालेखाकार, उत्तराखण्ड कार्यालय में खोले जाने की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।
- (v)-कार्यालय ज्ञाप संख्या 346/XXVII (7)/2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा ऐसे स्वायत्तशासी संस्था/ स्थानीय निकाय, जो राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं करते हैं, हेतु यह व्यवस्था दी गई थी कि सी0आर0ए0 के नियुक्त होने तक नई पेंशन योजना की धनराशि ऐसे बैंक/संस्था में जमा करेंगे, जहां ब्याज सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम न हो। इस सम्बन्ध में एन0एस0डी0एल0 द्वारा दिनांक 11 व 12 दिसम्बर, 2009 को सम्पन हुए कार्यशाला में यह बताया कि एक बार जब राज्य सरकार के

कर्मचारियों की धनराशि बैंक ऑफ इण्डिया को भेजी जाने लगेगी, तो एन०एस०डी०एल० उक्त संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं को भी अलग से स्वतंत्र रूप में सी०आर०ए० में रजिस्टर करने की सुविधा उपलब्ध करायेगा।

(vi)-प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मियों के विषय में पूर्व में स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। प्रतिनियुक्ति पर गये राजकीय कर्मियों द्वारा सम्बन्धित कोषागार/सी०आर०ए० से पी०आर०ए०एन० (पर्मनेंट रिटायरमेंट अकाउण्ट नम्बर) लेने के बाद अपने व नियोक्ता के अंशदान की कुल धनराशि का ड्राफ्ट वेतन आहरण प्राधिकारी द्वारा पूर्ण विवरण सहित यथा नाम, पी०आर०ए०एन०, कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता के अंशदान को निदेशक, लेखा एवं हकदारी को भेजना होगा, जो इस प्रकार प्राप्त आंकड़े व फण्ड को सी०आर०ए० को भेजेंगे। अतः अब नई पेंशन योजना के अन्तर्गत चालान द्वारा धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस आशय के आदेश भी सभी बैंकों को कोषागारों द्वारा दिये जायें। यदि किन्हीं कारणों से मैनुअल बिल बनाना अपरिहार्य हो तो उक्त बिलों से अंशदान की कटौती नहीं की जायेंगी।

(2)- कोषागार से आहरण, सी० आर० ए० व फण्ड मैनेजर को जमा अंशदान का प्रेषण:- डाटा सेंटर प्रत्येक पूर्व माह का विस्तृत डाटा एस०सी०एफ० के रूप में संलग्नक के प्रपत्र "ख" में आगामी माह की 10 तारीख तक सी०डी० में एक कवरिंग लेटर (दो प्रतियों में) के साथ जिसमें कोषागारवार कुल कर्मचारियों की संख्या व धनराशि का उल्लेख होगा, निर्धारित संलग्नक के प्रपत्र "ग" में निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा। परन्तु प्रत्येक वर्ष के माह मार्च का डाटा उसी माह की 25 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर माह के अन्त में निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा देहरादून कोषागार से घटाईये वापसी के माध्यम से उक्त धनराशि आहरित कर बैंक ऑफ इण्डिया, मुम्बई को भेजी जायेगी एवं इसकी प्रतिलिपि सी०आर०ए० को पृष्ठांकित की जायेगी। इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, एन०आई०सी० कोषागार के सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 01 सितम्बर, 2010 से अंशदायी पेंशन योजना की धनराशि कोषागारों द्वारा लेखाशीर्षक "0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में 00- 117-नई पेंशन योजना, 01- कर्मचारी का अंश, 02- नियोक्ता का अंश" के नामे जमा की जायेगी।

(3)- भविष्य में पी०आर०ए०एन० (प्रान) प्राप्त करने की प्रक्रिया :- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा अब तक सॉफ्ट कापी के माध्यम से 25997 कार्मिकों के सी०आर०ए० से प्रान आबंटित करवा लिए गये हैं, जो डाटा सेंटर द्वारा समस्त कोषागारों के डेटाबेस में अपडेट किये जायेंगे और शेष कार्मिकों के प्रान माह अगस्त तक प्राप्त कर लिये जायेंगे। जिन कार्मिकों को सॉफ्ट कापी के माध्यम से प्रान प्राप्त हुए हैं, उन्हें सी०आर०ए० द्वारा निर्धारित हार्ड कापी (Form S1) को भी भरकर अबिलम्ब कोषागारों के माध्यम से सी०आर०ए० के फ़ैसिलिटेशन सेंटर में जमा कराने होंगे और इसी के आधार पर ही सी०आर०ए० द्वारा कार्मिकों का सम्पूर्ण डेटा अपडेट कर प्रान किट उपलब्ध करायी जायेंगी। दिनांक 31 जुलाई, 2010 के बाद निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा पूर्व व्यवस्था के अनुसार सी०पी०एस०एन० (केंद्रीय ब्यूटरी पेंशन स्कीम नम्बर) आबंटित नहीं किये जायेंगे। अब नव नियुक्त कार्मिकों को सम्बन्धित कोषागारों के माध्यम से फार्म एस०-1 भरकर सी०आर०ए० के फ़ैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से ही पर्मनेंट रिटायरमेंट अकाउण्ट नम्बर (प्रान) आबंटन करवाना होगा। कोषागारों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेंगा कि कार्मिकों को सी०आर०ए० से प्रान आबंटन होने के बाद ही अंशदान की कटौती की प्रारम्भ की जाए।

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय कार्मिकों का वेतन आहरण एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के माध्यम से होने के साथ-साथ कोषागार अधिकारी ही आहरण वितरण अधिकारी का कार्य भी करते हैं, अतः उक्त योजना में कोषागारों का आहरण वितरण अधिकारी के रूप में सी०आर०ए० में पंजीकरण किया गया है, परन्तु फार्म एस-1 के सैक्सन-B में डी०डी०ओ० का आशय वास्तविक विभागीय डी०डी०ओ० से है एवं इस सैक्सन के कालम-8 एवं 9 में क्रमशः डी०डी०ओ० व डी०टी०ओ० रजिस्ट्रेशन संख्याएँ, जो सी०आर०ए० द्वारा आवंटित की गयी हैं कोषागारों द्वारा भरी जायेंगी।

(4)- अधिसूचना संख्या 26 /XXVII (7) /2008, दिनांक 30 जनवरी, 2009 के फलस्वरूप व्यवस्था परिवर्तन :- इस शासनादेश के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके पूर्व राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत थे, उन्हें कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना गया है जबकि दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके बाद इनकी नई नियुक्ति के दृष्टिगत पूर्व में इनको नई अंशदान पेंशन योजना का सदस्य मानते हुये अंशदान काटा गया था, अतः अब इनसे पूर्व में जमा करायी गई नई पेंशन योजना के अंशदान की धनराशि इनको वापस कर इनको पूर्व आवंटित जी०पी०एफ० खाते में जमा की जायेगी, जिस हेतु सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी (डी०डी०ओ०) अपने यहां बनाये गए लेजर/पासबुक से धनराशि पूर्ण रूप से सत्यापित करते हुए उसे सम्बन्धित कोषागार से सत्यापित करवाकर निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। मैनुअल बिलों के द्वारा काटे गये अंशदान का सत्यापन प्रस्तर-5 के अनुसार किया जाएगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड अंतिम भुगतान की पर्ची बनाकर उसे कोषागार को भुगतान हेतु ठीक उसी प्रकार प्रेषित करेंगे जैसे कि जी०पी०एफ० की धनराशि आहरित करने की प्रक्रिया है उसी प्रकार कर्मचारी की अंशदान से सम्बन्धित धनराशि मय ब्याज के अधिकारी/ कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जबकि नियोक्ता के अंशदान को राजकोष में वापस जमा कर दिया जायेगा। परन्तु निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड इस तरह के प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट तभी लगायेंगे, जब सभी कोषागार इस तरह के प्रकरण अन्तिम रूप से निदेशालय को भेज दें।

(5)- लीगेसी डेटा का सत्यापन :- दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 से अब तक जमा धनराशि का व्यापक मिलान करने के बाद सी०आर०ए० को प्रेषित किया जायेगा। मिलान कार्य एवं डेटा की शुद्धता के बारे में कार्यालय ज्ञाप संख्या 210/XXVII(7)/2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008 में आहरण-वितरण अधिकारियों व कोषागारों के कर्तव्य स्पष्ट रूप से विभाजित किए गए हैं। इसके बावजूद भी डेटा में कुछ अशुद्धियां रह गयी हैं, जिनकी अब अन्तिम बार फार्म S-1 भरते समय शुद्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी। प्रत्येक अभिदाता के विगत वर्षों की वित्तीय वर्षवार (अर्थात् 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11), कोषागारवार, माहवार वार्षिक रिपोर्ट, जैसा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जी०पी०एफ० हेतु तैयार की जाती है, जिसमें बाउचर नम्बर, चालान नम्बर, तिथि एवं ब्याज का स्पष्ट उल्लेख हो, तथा सम्बन्धित लेखा पर्चियां डेटा सेंटर द्वारा शीघ्र तैयार कर निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड एवं कोषागारों को उपलब्ध करायी जायेंगी और कोर ट्रेजरी सिस्टम इण्टरनेट साईट में रखी जायेंगी। लीगेसी डेटा मिलान के लिए डेटा सेंटर द्वारा कोषागारवार व माहवार सूचना दिये गये संलग्नक के प्रपत्र "घ" में निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेंगी, जिससे डेटा मिलान किया जा सके।

लीगेसी डेटा के सत्यापन के लिए दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के बाद जिन कार्मिकों के नई अंशदायी पेंशन योजना में अंशदान के एरियर की कटौती मैनुअल बिल द्वारा की गयी है, उनका बिलवार (वाउचर, दिनांक व धनराशि) व कार्मिकवार विवरण सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी तैयार करेंगे। प्रत्येक बिल से काटी गयी समेकित पूर्ण पेंशन अंशदान की धनराशि का योग कोषागार से सत्यापित कराया जायेगा और यदि यह धनराशि चालान द्वारा जमा की गयी है, तो चालान की धनराशि, चालान संख्या, दिनांक, CPSN व नाम का सत्यापन सम्बन्धित कोषागार द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश के अनुरूप सभी आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा नई पेंशन योजना खाता धारकों के लेजर दिनांक 30 अक्टूबर, 2010 तक अवश्य तैयार किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाए, यदि कीन्हीं कारणों से लेजर अभी तक नहीं बन पायें हों, तो उन्हें कोषागार से प्राप्त हाने वाली वेतन बिल (पे0रौल) की सहायता से अबिलम्ब तैयार करा लिया जाय और इस प्रकार तैयार लेजर से वर्षवार जी0पी0एफ0 की भांति नई पेंशन योजना की पासबुक तैयार करा ली जाय। उक्त पासबुक के आधार पर सी0आर0ए0 को लिंगेसी धनराशि प्रेषित की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में समस्त कोषागार सम्बन्धित समस्त आहरण वितरण अधिकारियों की बैठक कर शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करें व इसकी प्रतिलिपि प्रत्येक आ0वि0अ0 को उपलब्ध करायें जिससे प्रक्रिया का सत प्रतिशत क्रियान्वयन हो सके।

5- उक्तवत निर्गत की जा रही संशोधित व्यवस्था के दृष्टिगत इस विषय में प्रस्तर-1 में उल्लिखित अधिसूचना/कार्यालय ज्ञाप केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

(राधा रतूड़ी)

सचिव, वित्त

संख्या 643 (1)/XXVII (7) (अं0पे0यो0)/ 2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
- 5- स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
- 6- सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 7- सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
- 8- उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 10- निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
- 11- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
- 12- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
- 13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त

शासनादेश संख्या- 643 /XXVII (7) (अं०प०यो०) / 2010 का संलग्नक

प्रपत्र "क" (संदर्भ प्रस्तर-1)

SNO	POP-SP City	CRA-FC ID	CRA FC Address
1.	Dehradun	51020	Alankit Assignments Ltd 11, First Floor 6, Cross Road, Dehradun, Uttarakhand 248001 Tel - 01352656312
2.	Dehradun	52041	Karvy Data Management Services Ltd 48/49 Patel Market, Opp Punjab Jewell, Near Gandhi Park, Dehradun Uttarakhand 248001 Tel - 01352714046
1.	Haldwani	51055	Alankit Assignments Ltd 2/594-I, Jhurmut, Polysheet Nainital Road, Haldwani, Uttarakhand - 263126 Tel - 05946- 283200
2.	Haldwani	52054	Karvy Data Management Services Ltd Durga City Center, Near Mbp College, Nainital Road, Haldwani, Uttarakhand - 263139 Tel - 05946- 285606

प्रपत्र "ख" (संदर्भ प्रस्तर-2)


S. N.	Subscriber Name	PRAN	DTO Reg. No.	DDO Reg. No.	Govt. Contribution	Emp. Contribution	Month	Year	Contribution Type (Regular /Arrears)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
महायोग									

प्रपत्र "ग" (संदर्भ प्रस्तर-2)

क्र०स०	माह व वर्ष	कोषागार का नाम	योजना में कुल कार्मिकों की संख्या	सुसंगत लेखाशीर्षक में कुल जमा धनराशि
1	2	3	4	5
महायोग				

प्रपत्र "घ" (संदर्भ प्रस्तर-5)

कोषागार का नाम	माह व वर्ष	कार्मिक का नाम	पदनाम	डी०डी० ओ० कोड	सी०पी०एस० एन०(16 डिजिट)	सी०आर०ए० द्वारा आबंटित प्रान	कार्मिक का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	कुल जमा अंशदान	वाउचर सं०	वाउचर का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
महायोग											


 (शरद चन्द्र पाण्डेय)
 अपर सचिव, वित्त

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव / सचिव,
चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा,
संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा,
कृषि एवं विपणन,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून: दिनांक: 04 मार्च, 2011

विषय:- अधिसूचना संख्या: 21/XXVII(7)अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अनुसार चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कृषि विभाग के शिक्षण संस्थाओं में लागू करने के विषय में व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: 21/XXVII(7)अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है। शासन के नियंत्रणाधीन तथा इससे पूर्व अन्यत्र (उत्तराखण्ड राज्य सेवा एवं संस्थाओं के साथ-साथ अन्य केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों की सेवा में तथा उनके स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में) कार्यरत थे तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 या इसी प्रकार की पुरानी हित पेंशन लाभ योजना से आच्छादित थे, को पुरानी हित पेंशन लाभ योजना का लाभ नहीं अनुमन्य हो पा रहा है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा संयुक्त विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार में उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व कृषि विभाग के शिक्षक/शिक्षणेत्तर संवर्ग में दिनांक 1/10/2005 या उसके बाद नये नियुक्त हुए शिक्षक/शिक्षणेत्तर संवर्ग के कामिंकों, यू0जी0सी0 के दिशा निर्देश से नियंत्रित अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों, चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय, भारत सरकार के विश्वविद्यालय एवं संस्थानों, सी0एस0आई0आर0, आई0सी0 ए0आर0 आदि तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पुरानी पेंशन योजना के अधीन की गई सेवाओं को निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन हितलाभ योजना में आच्छादित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) संबंधित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा पूर्व धारित पद विधिवत सृजित हो तथा उस पद पर नियुक्ति विधिवत एवं नियमित रूप से की गयी हो।

(ii) जिन संस्थाओं की पूर्व में की गई सेवा में पेंशन हेतु जोड़ी जानी हो, वह सेवाएं पेंशनेबल हो।

(iii) यदि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, आई0सी0ए0आर0 के द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों, में पेंशन देने का दायित्व

राज्य सरकार का हो, तो केवल वहां ही पेंशनरी एवं अवकाश वेतन का अंशदान जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू होने के पूर्व सी०पी०एफ० का प्रबन्धकीय अंशदान राजकोष में जमा करना होता है। यदि पूर्व सेवा के द्वारा संबंधित शिक्षक/कर्मचारी को सी०पी०एफ० प्रबन्धकीय अंशदान प्राप्त हो गया हो तो प्रबन्धकीय अंशदान जी०पी०एफ० में तत्समय लागू ब्याज दर सहित राजकोष में जमा कर दिया जाय।

(iv) जिन संस्थाओं को उनके कर्मचारियों के वेतनादि एवं पेंशन आदि के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है, यदि उनके अध्यापक/कर्मचारी किसी सहायता प्राप्त कृषि/अन्य महाविद्यालयों की सेवा में चले जाते हैं, तो उनकी पूर्व सेवायें पेंशनादि के प्रयोजना हेतु तभी जोड़ी जायेगी, जब नियोजक शासन के नियमों के अनुसार आगणित कैपिटलाइज्ड वैल्यू आफ पेंशन की पूर्व की राशि राज्य कोष में जमा कर दें चाहे संबंधित शिक्षक/कर्मचारी उस संस्था के पेंशन नियमों से आच्छादित भी रहा हो।

उपरोक्त शर्तों के अधीन एक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की गई सेवा की गणना दूसरी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में की जा सकती है। पेंशन के पात्र वही शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी होंगे, जो नियमित रूप में चयनित हों तथा नियमित एवं पूर्ण कालिक पद पर नियुक्त हो। तदर्थ सेवायें पेंशन के लिए नहीं जोड़ी जायेगी। इस प्रयोजन हेतु पदों का स्थायी होना आवश्यक नहीं है।

(v) एक संस्था से दूसरी संस्था में नियुक्ति की स्थिति में अधिकतम व्यवधान उस अवधि तक का मर्षित किया जा सकता है जितनी अवधि का राज्य कर्मचारियों को स्थानान्तरण होने पर कार्यभार ग्रहण काल(Joining time) देय होता है।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या 832(1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2—निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मीरोड़, डालनवाला, देहरादून।
- 3—निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड।
- 4—कुल सचिव, कुमायूँ विश्व विद्यालय/तकनीकी विश्वविद्यालय/पंतनगर विश्वविद्यालय/अन्य सरकारी विश्वविद्यालय, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तराखण्ड।
- 5—मुख्य सचिव, समस्त प्रदेश, भारत।
- 6—महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 7—अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- 8—निदेशक चिकित्सा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक संस्कृत शिक्षा/निदेशक तकनीकी शिक्षा/निदेशक कृषि, उत्तराखण्ड।
- 9—महानिदेशक, काउन्सिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली।
- 10—वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु-3/कृषि अनु0-2/तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा अनुभाग।

आज्ञा/से

(शरद चन्द्र पाण्डे)

अपर सचिव, वित्त।